

कार्यालयों की संख्या तथा उन कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है

बैंक का नाम	कार्यालयों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1. सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	5	257
2. बैंक आफ इण्डिया	2	86
3 पंजाब नेशनल बैंक	3	102
4. बैंक आफ बड़ौदा	1	29
5. युनाइटेड कम-सियल बैंक	1	48
6. बनारा बैंक	1	20
7. युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	1	50
8 देना बैंक	1	26
9 युनियन बैंक आफ इण्डिया	1	24
10. इलाहाबाद बैंक	2	99

(ग) जी नहीं

(घ) उपरोक्त प्रत्येक बैंक में कार्य करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है—

बैंक का नाम	कर्मचारियों की संख्या	
	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित आदिम जातियाँ
सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	6	—
बैंक आफ इण्डिया	10	—
पंजाब नेशनल बैंक	17	8
बैंक आफ बड़ौदा	1 (अशकालिक)	—
युनाइटेड कम-सियल बैंक	1 (अशकालिक)	—

बैंक का नाम	कर्मचारियों की संख्या	
	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित आदिम जातियाँ
बनारा बैंक	1	—
युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	1	—
देना बैंक	—	—
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	1	—
इलाहाबाद बैंक	2	—

सांस्कृतिक संस्थाओं का विकास

4423. श्री राजावतार शास्त्री : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक संस्थाओं के विकास के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है,

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं,

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार एक ऐसी योजना बनाने का है, और

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री और संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) :

(क) सांस्कृतिक संस्थानों के विकास के हेतु सरकार ने कई योजनाएँ बनाई हैं। इस प्रयोजन के हेतु बनाई गई कुछ योजनाएँ निम्नलिखित हैं:—

(i) सांस्कृतिक सगठनों को भवन निर्माण अनुदान।

(ii) सांस्कृतिक पुस्तकालयों के विकास के हेतु स्वैच्छिक शैक्षणिक सगठनों को वित्तीय सहायता।

(iii) निर्जी सग्रहणालयों के पुनर्गठन तथा विकास के लिए वित्तीय सहायता।

(iv) भारतीय भाषाओं के विकास हेतु स्वैच्छिक सगठनों को सहायता ।

(v) व्यावसायिक नृत्य, नाटक, तथा थियेटर समष्टियों को वित्तीय सहायता ।

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत भवन निर्माण, उपकरण तथा फर्नीचर खरीदने अमिनय तथा प्रदर्शनपूर्ण नट-मंडली के अन्तर्गत, विकासोन्मुख कार्यक्रमों आदि के लिये सांस्कृतिक संस्थानों इत्यादि को वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

Development of Tourism in Mysore

4424. SHRI S. M. KRISHNA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether the Mysore Government has asked the Central Government to give more funds to the State for the development of tourism in that State ;

(b) if so, the reaction of the Union Government thereon ; and

(c) the steps being taken to improve the tourist centres in that State ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) :

(a) No specific request has been received from the State Government.

(b) Does not arise.

(c) The following schemes have been taken up in Mysore State in the Central Sector:-

(i) A 91-room luxury hotel has recently been opened by the India Tourism Development Corporation in Bangalore.

(ii) Funds have been provided towards the water supply scheme at Aihole.

(iii) A youth Hostel is being constructed at Hampi.

(iv) The Travellers Lodge at Hassan is being enlarged by the India Tourism Development Corporation by adding 20 rooms.

It is also proposed to provide transport units at Hampi and Badami and to augment the transport unit of ITDC at Bangalore.

Insurance Schemes evolved by the L. I. C.

4425. SHRI S. C. SAMANTA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what advantages are likely to accrue to the various categories of persons as a result of the four groups of insurance schemes jointly evolved by the Life Insurance Corporation and the Andhra Pradesh Co-operative Department inaugurated by the Chief Minister of Andhra Pradesh on June 4, 1971 at Hyderabad ;

(b) what are the schemes evolved ; and

(c) whether these schemes are likely to be launched elsewhere also ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : (a) and (b). The four schemes are:-

(i) Group Insurance Scheme for persons who take loans from the Andhra Pradesh State Housing Federation,

(ii) Group Insurance Scheme for Taxi drivers and Auto-Rickshaw drivers who take loans from Co-operative Societies, for purchasing the vehicles;

(iii) Group Insurance Scheme for persons who take loans from the Andhra Pradesh Coop. Central Land Mortgage Bank Ltd. through its primary Co-operative Land Mortgage Banks;

(iv) Group Gratuity-cum-Life Insurance Scheme for employees of Co-operative Societies in Andhra Pradesh.

The objective of the first three Schemes is to liquidate the outstanding debt in the event of premature death of the borrower ; and that of the fourth Scheme is funding of retirement gratuity and provision of life